





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर  
 अनवान ..... सीमा बनाम ..... पुनश्च .....  
 किस्म मुकदमा ..... 212-17-11-11 ..... मु0नं0 ..... 190 ..... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
12.07.2021	<p>प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी दिनांक 17.08.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 458/0.2908है0 दर्ज खाता 194 वाके ग्राम जकोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 17.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">         उपखण्ड अधिकारी        कोटकासिम     </p> <p>17/8/21 कास्टे नवनी प्रभावनी शिवांग 26.10.21 को पेश की। </p> <p>26/10/21 पत्रावली पेश हुई। P.0 (रास्व राजकार) के बहस ही प्रभावनी शिवांग 3.12.21 को पेश की। </p> <p>22/11/21 आज 22 पत्रावली सीमा को प्रसिद्धा पर पर पेश हुई। प्रार्थी/शाने प्रसिद्धा पर पेश कर आपना वाद स्थायित करवा लिया है। बहाली प्रसिद्धा पर भी स्थायित किया जाता है। पत्रावली केसल सुधार शेकर जकर से का 21 नवरा वाद नवराजीन शिवांग वाद हुई </p>	<p style="text-align: right;">Seema        Subymer        21/11/21</p> 